राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16961/2023

जसप्रीत कौर पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम 1 पीपी, वार्ड नंबर 2, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।
3. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अपने सचिव, शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली 110092 के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री मानवेन्द्र सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मानवेन्द्र कृष्ण भाटी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

28/05/2024

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे उसे दिनांक 16.12.2022 के विज्ञापन (अनुलग्नक 1) के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (सामान्य / विशेष शिक्षा, स्तर- II, कक्षा 6 से 8) के पद पर नियुक्ति प्रदान करें।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला स्नातक (सामान्य) की डिग्री प्राप्त करने के साथ पूरी तरह से पात्र है, जिसमें अंग्रेजी तीनों वर्षों में अनिवार्य विषय है, उसने प्रश्नगत पद के लिए आवेदन किया। बी.ए. के बाद याचिकाकर्ता ने एम.ए. (अंग्रेजी) में डिग्री

प्राप्त की, उसके बाद महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से बी.एड. की डिग्री प्राप्त की। उसके पास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन) भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में भागीदारी प्रमाण पत्र भी है।

2.1 याचिकाकर्ता प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित हुई, जिसमें उसने 112.3497 अंक प्राप्त किए। पदों की संख्या से दोगुनी संख्या में सफल उम्मीदवारों की एक अनंतिम सूची घोषित की गई। याचिकाकर्ता का नाम सूची में सफल के रूप में दिखाई दिया और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अधिसूचित किया गया।

2.2 हालांकि, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बीए में अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के बजाय अनिवार्य विषय है। उन्होंने याचिकाकर्ता के खेल प्रमाण पत्र पर भी विचार नहीं किया। इसलिए, यह याचिका।

3. तथ्यों के उपरोक्त विवरण के जवाब में, उत्तर में लिया गया रुख यह है कि विज्ञापन दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक 1) के खंड 6बी(3) में यह प्रावधान है कि उम्मीदवार के पास अपने संबंधित स्नातक या उसके समकक्ष पाठ्यक्रम में अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता इस शर्त को पूरा नहीं करता है क्योंकि हिंदी याचिकाकर्ता का स्नातक में अंग्रेजी के बजाय वैकल्पिक विषय था। अंग्रेजी उसका अनिवार्य विषय था।

3.1. खेल प्रमाण पत्र के संबंध में, इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय अंतर-विद्यालय हॉकी टूर्नामेंट 2001-02 के लिए जारी किया गया था। यह दिनांक 16.12.2022 के विज्ञापन के खंड संख्या 3 (12) (2) में निर्धारित उत्कृष्ट खिलाड़ी की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करता है। उक्त खंड के अनुसार, उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ ऐसे उम्मीदवार को दिया जाएगा, जिसने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के तत्वावधान में आयोजित किसी भी खेल गतिविधि में भाग लिया हो और पदक जीता हो। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए एसजीएफआई द्वारा आयोजित खेलों में भाग लेना और पदक जीतना अनिवार्य है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में एसजीएफआई का कोई संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, उक्त खेल प्रमाण पत्र एक ऐसे टूर्नामेंट के लिए है जो सीबीएसई द्वारा आयोजित किया गया था न कि एसजीएफआई के तत्वावधान में। इसलिए, याचिकाकर्ता के उक्त प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया गया। याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है। इस मामले में संक्षिप्त विवाद, वास्तव में, 18.04.2024 को मेरे द्वारा पारित एक अलग आदेश द्वारा पहले ही संक्षेप में प्रस्तुत किया जा चुका है, जो उपयुक्त होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> नोटिस जारी करें। श्री मानवेंद्र सिंह भाटी प्रतिवादियों के लिए नोटिस स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सेवा समाप्त की जाती है।
>
> न्यायालय के प्रश्न पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में अतिरिक्त सामग्री रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा है कि सीबीएसई द्वारा आयोजित हॉकी टूर्नामेंट स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में है, जो इसका सहयोगी है।
>
> उन्होंने आगे कहा कि वे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि क्या याचिकाकर्ता के साथ हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने वाले अन्य उम्मीदवारों को उनके खेल प्रदर्शन का लाभ दिया गया है, जिसका याचिकाकर्ता भी दावा कर रहा है।
>
> 28.05.2024 को सूचीबद्ध करें।
>
> इस बीच, याचिका का जवाब दाखिल किया जाए।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी अन्य उम्मीदवार को, जो याचिकाकर्ता के समान स्थिति में है और जिसने उसके साथ हॉकी टूर्नामेंट में भाग लिया था, उसके खेल प्रदर्शन का लाभ नहीं दिया गया है, जिसका याचिकाकर्ता दावा कर रही है।

6. इसके अलावा, उनका यह तर्क कि सीबीएसई द्वारा आयोजित हॉकी टूर्नामेंट स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में है, उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर में लिए गए रुख से भी झूठा साबित होता है, जो प्रासंगिक होने के कारण नीचे दिया गया है:-

> "2. x-x-x-x-x-x-x-x-x
>
> उत्तरदाता प्रतिवादी के विनम्र निवेदन में, याचिकाकर्ता का खेल प्रमाण पत्र जो कि राष्ट्रीय अंतर-विद्यालय हॉकी टूर्नामेंट 2001-02 के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी

किया गया है, दिनांक 16.12.2022 के विज्ञापन के खंड संख्या 3 (12) (2) में निर्धारित उत्कृष्ट खिलाड़ी की शर्त को पूरा नहीं करता है। उक्त खंड के अनुसार, उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ ऐसे उम्मीदवार को दिया जाएगा जिसने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के तत्वावधान में आयोजित किसी भी खेल गतिविधि में भाग लिया हो और पदक जीता हो।

x-x-x-x-x-x

उक्त नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल एसजीएफआई द्वारा आयोजित खेलों में भाग लेना और पदक जीतना अनिवार्य है, हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में कहीं भी एसजीएफआई का उल्लेख या संदर्भ नहीं देखा गया है। इसके अलावा, उक्त खेल प्रमाण पत्र एक टूर्नामेंट के लिए है जो सीबीएसई द्वारा आयोजित किया गया था और एसजीएफआई के तत्वावधान में नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया।"

7. याचिकाकर्ता द्वारा कोई और हलफनामा और/या प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादियों का उपरोक्त तथ्यात्मक/कानूनी दावा निर्विवाद है।

8. इस आधार पर, मेरा मानना है कि भले ही याचिकाकर्ता को अंग्रेजी अनिवार्य विषय (और वैकल्पिक नहीं) के रूप में रखने का लाभ दिया गया हो, फिर भी प्रतिवादियों द्वारा खेल श्रेणी में उसकी अस्वीकृति के संबंध में की गई कार्रवाई में तथ्यों या कानून में कोई अनियमितता नहीं है, जिससे इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध हो। उसकी योग्यता के अनुसार वह सामान्य श्रेणी में योग्य नहीं है और खेल श्रेणी में उसे सही रूप से अयोग्य माना गया है। याचिका को अनिवार्य रूप से खारिज किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है।

9. लंबित आई.ए., यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।